दिनांक 12.06.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समाज कल्याण से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

Received 24/06/13

1– *उपस्थिति पंजी में संधारित है।*

कार्यवाही

2– सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इस जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका की रिक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा रिक्ति की स्थिति निम्नवत बताया गया :–

क्र0	परियोजना का नाम	रिक्ति	
		सेविका	सहायिका
1	चतरा ग्रामीण	0	0
2	सिमरिया	02	01
3	टण्डवा	0	0
4	ईटखोरी	0	01
5	हण्टरगंज	0	01
6	प्रतापपुर	03	03
	कुल–	**05**	**06**

रिक्ति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में दिनांक 25.06.2013 तक रिक्तियो के विरूद्ध आम–सभा के माध्यम से सेविका/सहायिका का चयन कर अनुमोदन का प्रस्ताव जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि रिक्ति शून्य हो। **(अनुपालन–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरिया, ईटखोरी, हण्टरगंज, प्रतापपुर)**

3– निरीक्षण/पर्यवेक्षण :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को विगत कई बैठको में निदेश दिया जाता रहा है कि प्रत्येक माह में नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रो का निरीक्षण करना सुनिश्चित करे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चो सहित पर्यवेक्षिका का फोटोग्राफ निश्चित रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करे।

बाल विकास परियोजना, चतरा ग्रामीण की महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण की खानापूर्ति मात्र की जाती है। इस संबंध में श्रीमती शीला प्रसाद महिला पर्यवेक्षिका से यह पुछने पर कि आपके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के किये गए निरीक्षण में किसी भी केन्द्र पर कोई कमी/त्रुटि नही पाया गया, उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नही दिया जा सका। इस पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया गया कि पर्यवेक्षण के कम में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पायी गई खामियों का उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में अवश्य अंकित होना चाहिए। अन्य परियोजनाओं की महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार की कमियाँ परिलक्षित हुई हैं।

निदेश दिया गया कि भविष्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के कम में पायी गई त्रुटियों का उल्लेख निरीक्षण/पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में अवश्य होनी चाहिए। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना

पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा निरीक्षण किये गए केन्द्रों का Random निरीक्षण/पर्यवेक्षण उनके द्वारा भी किये जाँय ताकि निरीक्षण की सत्यता ज्ञात हो सके।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

4– मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना :– इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुमोदित कुल– 843 लाभुको मे से वर्त्तमान समय तक मात्र 656 लाभार्थियों के ही राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन उपलब्ध कराया गया है। शेष 187 आवेदन (विहित प्रपत्र) सभी परियोजनाओं से वांछित हैं। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर संबंधित आवेदन जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना की प्रगति के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान समय तक चतरा ग्रामीण से 16, हण्टरगंज से 51, प्रतापपुर से 33 एवं सिमरिया परियोजना से मात्र 31 आवेदन ही प्राप्त है। इस प्रकार कुल–131 आवेदन ही परियोजनाओं से प्राप्त हुए है।

इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को पूर्व से ही निदेशित है कि प्रत्येक माह प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र से एक–एक लाभार्थी का आवेदन सभी वांछित कागजातों के साथ स्वीकृति हेतु जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। इसके अनुसार माह अप्रैल एवं मई में कुल–2248 आवेदन प्राप्त होने चाहिए थे जिसके विरूद्ध मात्र 131 आवेदन ही प्राप्त है। इसपर काफी क्षोभ व्यक्त करते हुए सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। बताया गया कि यह योजना काफी महत्वाकांक्षी योजना है अतएव संवेदनशील होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार आवश्यक है। साथ ही पुनः निदेश दिया गया कि माह जून 2013 से निश्चित रूप से प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र एक–एक आवेदन सृजित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)**

5– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :– इस योजना के तहत विभाग से लक्ष्य एवं आवंटन प्राप्त हो चुका है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य एवं आंवटन प्रखण्डवार उपावंटित कर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियो को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उपावंटित लक्ष्य के अनुरूप लाभुको के आवेदन सृजित कर उसे सूचिबद्ध करते हुए पंचायत समिति की बैठक में अनुमोदन कराने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया। आवेदन में लाभुक के विवाह की तिथि/संभावित तिथि अवश्य अंकित होनी चाहिए। सेविका/पर्यवेक्षिका द्वारा आवेदन में यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि लाभुक उनके पोषक क्षेत्र की है तथा पूर्व से विवाहित नही है। चयन के कम में इस बात का ध्यान रखा जाय कि आवेदक बी0पी0एल0 परिवार से सम्बद्ध हो अर्थात आवेदक का बी0पी0एल0 होना आवश्यक है।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

6– पोषाहार :– समीक्षा के कम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि सभी परियोजनाओ के सेविकाओ के खाता में माह मार्च 2013 तक का पोषाहार की राशि जमा किया जा चुका है। वर्तमान में ईटखोरी परियोजना को छोड़कर शेष सभी परियोजनाओं से माह अप्रैल 2013 के अभिश्रव प्राप्त हो चुके हैं जिसकी प्रविष्टि कम्प्यूटर में की जा रही है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह की 5 वीं

तारीख तक पिछले माह के अभिश्रव निश्चित रूप से जिला समाज कल्याण कार्यालय को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें ताकि ससमय राशि सेविका के खाते में हस्तांतरित किये जा सकें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

7– कुपोषण :– समीक्षा के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण द्वारा बताया गया कि आज चतरा स्थित M.T.C में कुपोषित बच्चो की संख्या मात्र पांच है। इस पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया तथा सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को इस संबंध में स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

पूर्व की भाति पुनः निदेशित किया गया कि M.T.C में माह में कम–से–कम 02 कुपोषित बच्चों का नामांकन प्रत्येक महिला पर्यवेक्षिका द्वारा निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

8– स्वामी विवेकानन्द निःशक्त प्रोत्साहन योजना :– समीक्षा के कम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मद में भी आवंटन प्राप्त हो चुका है। निदेश दिया गया कि प्राप्त आवंटन का उपावंटन सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा जिला को शीघ्र करना सुनिश्चित करें ताकि उनके द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर संबंधित लाभुको के खाता में जमा कराया जा सकें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

9– आंगनबाड़ी केन्द्रों का जिर्णोद्धार :– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मद में प्राप्त 600000/–(छःलाख) रूपये की निकासी जिला परिषद् चतरा द्वारा किया जा चुका है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची दिनांक 20.06.2013 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि समेकित रूप से इसे जिला परिषद् चतरा को हस्तगत कराया जा सकें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

10– भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण :– समीक्षा के कम में बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में भी 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 47 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु आवंटन प्राप्त हो चुका है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने परियोजना से 8–8 भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जमीन की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन यथा खाता संख्या, प्लॉट सं0, आदि के साथ दिनांक 25.06.2013 तक निश्चित रूप से जिला समाज कल्याण कार्यालय को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। आंगनबाड़ी केन्द्रों के चयन में इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके लिए चयनित भूमि में किसी प्रकार का विवाद नही हो। पोषक क्षेत्र के विद्यालय परिसर अथवा सरकारी भूमि के चयन को प्राथमिकता दिया जाय। **(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)**

11– अन्यान्य :– समीक्षा के कम में ज्ञात हुआ कि इस जिले में छः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध मात्र 03 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ही पदस्थापित है। इनमें से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ईटखोरी दिनांक 30.04.2013 से ही अवकाश पर हैं। रिक्त पदो पर पदस्थापन हेतु विभाग से पत्राचार करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिले में महिला पर्यवेक्षिकाओं के स्वीकृत पद 35

के विरूद्ध मात्र 12 पर्यवेक्षिका ही पदस्थापित हैं। इस कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण प्रभावित होना स्वभाविक है। महिला पर्यवेक्षिका के पदस्थापन हेतु आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 294 /स0क0 दिनांक 22.6.13

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,/महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
चतरा।